न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 16 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. राणीया पुत्र बोगा पुत्र विरदा
2. तगीया पुत्र बोगा पुत्र विरदा
जाति मेगवाल निवासी धीरा
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.श्रीमती छैलकंवर बेवा चन्द्रसिंह गोद
पुत्र नगसिंह
2.गणपतसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उम्र 23
3.धनसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उम्र 14 साल
जाति राजपूत निवासी धीरा तहसील
सिवाना जिला बाड़मेर उतरदाता संख्या
3.नाबालिग जरिये कुदरती वली माता
उतरदाता संख्या 01 श्रीमती छैलकंवर।
4.मृतक केसा पुत्र हीरा के उतराधिकारी
4/1गणेशा पुत्र केसा के कायम मुकाम
4/1/1भीमाराम पुत्र गणेशराम
4/1/2जगताराम पुत्र गणेशराम
4/1/3श्रीमती प्यारी पत्नी गणेशाराम
4/2वोता पुत्र केसा जाति मेगवाल
4/3माधीया पुत्र केसा जाति मेगवाल
के कायम मुकामः–
4/3/1बागाराम पुत्र माधीया
4/3/2सांवलाराम पुत्र माधीया
4/3/3लीला पुत्री माधीया
4/4चोपा पुत्र केसा जाति मेगवाल
निवासी धीरा तहसील सिवाना जिला
बाड़मेर।
5.देवा पुत्र वंशा जाति ढोली निवासी
अकदड़ा तहसील बायतु।
6.रावतीया पुत्र बोगा पुत्र विरदा जाति
मेगवाल निवासी धीरा तहसील सिवाना
जिला बाड़मेर।
7.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
सिवाना।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 08/2010 बअनवान छैलकंवर बनाम मृतक केसा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक शुन्य के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनील के मेराजा रेस्पोडेंट की ओर से ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 02.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 03 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया कि मौजा धीरा तहसील सिवाना में वादीगण की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 364, 365, 363, 366 कुल रकबा 16.05 बीघा के आये हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया तब प्रतिवादी संख्या 01, 03 व 04 , 05 ने जबावदावा में काऊण्टर क्लेम पेश कर अभिकथन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिवाना को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिवाना द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। परन्तु तहसीलदार सिवाना द्वारा पूवर्व में तैयार विभाजन प्रस्ताव की पुनः कॉपी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को विभाजन प्रस्ताव बताये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिवाना को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिवाना द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया। परन्तु तहसीलदार सिवाना द्वारा पूर्व्व में तैयार विभाजन प्रस्ताव की पुनः कॉपी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को विभाजन प्रस्ताव बताये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। इसके बावजूद भी अपीलाधीन आलोच्य निर्णय डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के संदर्भ में मामले का परीक्षण किया। मामले में तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भूअ/वि.प्र./2018/1776 दिनांक 09.08.2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया तब तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भूअ/प्रा.डी/2018/2197 दिनांक 11.10.2018 के द्वारा दुबारा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सिवाना ने भिजवाया। यह विभाजन प्रस्ताव विधि की मंशानुरूप आया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में उल्लेखित किया है। इसका पूर्ण परीक्षण करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए अपना निर्णय दिया। तहसीलदार सिवाना के द्वारा दूसरी बार भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव, **जो कि स्वयं ने मौके पर जाकर तैयार किया,** की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर इसमें स्पष्ट प्रतिवेदित है कि "अद्योहस्ताक्षरकर्ता के मौका निरीक्षण के मौके पर उक्त खेत काश्त शुदा नहीं है, भूमि पड़त है। प्रतिवादी संख्या 04 तगाराम मौके पर उपस्थित आया जिसने विभाजन प्रस्ताव पर असहमति प्रकट की परन्तु अपनी असहमति के पक्ष में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कोई साक्ष्य या विभाजन के संबंध में कोई औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/सुझाव नहीं दिया। मौके पर पक्षकारों के आवागमन हेतु खसरा संख्या 361 राजकीय भूमि गैर मुमकिन नाला ग्रेवल सड़क उपलब्ध है जो इस क्षेत्र के आगे स्थित खेते के काश्तकारों तथा आमजन के आवागमन में भी प्रयुक्त होती है। इसके अलावा पक्षकारों के खेत में से सामलाती बेरा एवं गैर मुमकिन भूमि तक सभी खातेदारों की पहुंच का विकल्प भी है। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में खसरा संख्या 364 व 365 का पूर्ण रकबा व खसरा संख्या 366 में से रकबा 0.02 बीघा को संयुक्त खातेदारी में रखा गया है। प्रतिवादी देवाराम के आवेदन के अनुरूप ही विभाजन प्रस्ताव में पड़ौस अंकित है। **खातेदारों के मध्य रकबे की मात्रा व मौके के गुणावगुण सहित पड़ौस की स्थिति के आधार पर तथा भूमि की समान किस्म व मौका अनुसार भूमि के उपजाऊपन की स्थिति को देखते हुए पक्षकारों के काश्तकारी हितों को ध्यान में रखते हुए** निरीक्षक रमणीया व हल्का पटवारी धीरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अद्योहस्ताक्षरकर्ता के मौका निरीक्षण अनुसार की वर्तमान स्थितियों में **सटीक प्रस्तावित विकल्प है।** इस रपोर्ट में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का नियमों के परिप्रेक्ष में पूर्ण परीक्षण तहसीलदार सिवाना के स्तर से होकर प्रस्तुत किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रहीं है इस विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने इसके आधार पर जो जोत विभाजन का निर्णय/डिक्री (दिनांक 26.12.2018) पारित की गई है वह नितांत युक्तिसंगत, नियमानुसार एवं वैध है। इसमें बाद परीक्षण किसी भी प्रकार के दखल की गुंजाईश नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं राजस्व रिकॉर्ड के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 08/2010 बअनवान छैलकंवर बनाम मृतक केसा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2018 को यथावत रखा जाता है।

2/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर